



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052022-236150
CG-DL-E-31052022-236150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2340]
No. 2340]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISTHA 10, 1944

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

का.आ. 2467(अ).—केन्द्रीय सरकार, केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2693(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2013 जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 सितंबर, 2013 में प्रकाशित का गयी थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी-1 में,

(i) क्र. सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“22	डीडी रेट्रो	साधारण मनोरंजन”;
-----	-------------	------------------

(ii) क्र. सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	चैनल का नाम	शैली
“29.	डीडी हिमाचल	साधारण मनोरंजन (धेत्रीय)
30.	डीडी उत्तराखण्ड	साधारण मनोरंजन (धेत्रीय)

31.	डीडी छत्तीसगढ़	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
32.	डीडी झारखण्ड	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
33.	डीडी हरियाणा	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
34.	डीडी गोआ	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
35.	डीडी मणिपुर	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
36.	डीडी त्रिपुरा	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
37.	डीडी नागालैंड	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
38.	डीडी मेघालय	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)
39.	डीडी मिजोरम	साधारण मनोरंजन (क्षेत्रीय)

(iii) दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और भी कि क्रम संख्या 29 से 39 तक के चैनलों को केवल उन केवल आपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से दिखाया जाएगा जिनकी सेवा राज्य तक सीमित है जो ऐसे क्षेत्रीय चैनलों से संबंधित हैं।”

[फा. सं. 9/5/2019—वीपीएंडएल]

संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2693(अ), तारीख 5 सितंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा की गई:-

1. का.आ. 1388(अ), तारीख 25 मई, 2015;
2. का.आ. 1699(अ), तारीख 7 मई, 2019;
3. का.आ. 4136(अ), तारीख 15 नवंबर, 2019;
4. का.आ. 3792(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2021;
5. का.आ. 4796(अ), तारीख 22 नवंबर, 2021;

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2022

S.O. 2467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting number S.O. 2693(E), dated the 5th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th September, 2013, namely:-

In the said notification, in Table-I,

- (i) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“22	DD Retro	General Entertainment”;
-----	----------	-------------------------

- (ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

S.No.	Name of the Channel	Genre
“29.	DD Himachal	General Entertainment (Regional)
30.	DD Uttrakhand	General Entertainment (Regional)
31.	DD Chhattisgarh	General Entertainment (Regional)
32.	DD Jharkhand	General Entertainment (Regional)
33.	DD Haryana	General Entertainment (Regional)
34.	DD Goa	General Entertainment (Regional)
35.	DD Manipur	General Entertainment (Regional)
36.	DD Tripura	General Entertainment (Regional)
37.	DD Nagaland	General Entertainment (Regional)
38.	DD Meghalaya	General Entertainment (Regional)
39.	DD Mizoram	General Entertainment (Regional)” :

- (iii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the channels from serial numbers 29 to 39 shall be mandatorily carried only by those Cable Operators whose services are limited to the State to which such regional channels pertain to”.

[F. No. 9/5/2019-BP&L]

SANJIV SHANKAR, Jt. Secy.

Footnote: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2693(E), dated the 5th September, 2013 and was subsequently amended *vide* numbers:-

1. S.O. 1388(E), dated the 25th May, 2015;
2. S.O. 1699(E) dated the 7th May, 2019;
3. S.O. 4136 (E) dated the 15th November, 2019;
4. S.O. 3792(E) dated the 15th September, 2021; and
5. S.O. 4796 (E) dated 22nd November, 2021.